



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने मु0अ0सं0 225/26 धारा 126(2)/352/115(2)/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.04.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त जयदेव उर्फ मजनू निवासी पंचायत घर के पास सरुरपुर कलां के द्वारा वादिया के पुत्र नासिर का रास्ता रोककर गाली-गलौच करना तथा नासिर द्वारा मना करने पर वादिया के पुत्र नासिर के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करना व तमंचे से फायरिंग करना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 225/26 धारा 126(2)/352/115(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 225/26 धारा 126(2)/352/115(2)/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद हुआ है । उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आयुध अधि0 की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जगदेव उर्फ जयदेव उर्फ मजनू पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम सरुरपुर कला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 28

बरामदगी का विवरण-

- एक चाकू

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है0का0 632 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-हो0गा0 सुशील कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने मु0अ0सं0 224/26 धारा
191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109(1) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों
को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर
मय 02 जिन्दा ल एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.04.2026 को
थाना कोतवाली बागपत
पर वादी जगदेव पुत्र नरेन्द्र
निवासी सररपुर कला
थाना कोतवाली बागपत
जनपद बागपत ने लिखित
तहरीर दी कि अभियुक्तों
1.नासिर, 2.धोनी,
3.रीतिक उर्फ छोटू



निवासीगण ग्राम सररपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व अन्य 02 नाम
पता अज्ञात द्वारा वादी के साथ मारपीट, गाली गलौच करना व अभियुक्त नासिर द्वारा
आवेदक के ऊपर तमंचे से फायरिंग करना जिसमें आवेदक बाल बाल बच गया । इस सम्बन्ध
में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 224/26 धारा
191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी
हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के
मु0अ0सं0 224/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109(1) बीएनएस में वांछित
03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा
.315 बोर मय 02 जिन्दा ल एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम
विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. निशान्त उर्फ धोनी पुत्र तेजवीर निवासी सररपुर कला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 18 वर्ष
2. नासिर पुत्र महाराज निवासी सररपुर कला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष
3. रितिक उर्फ छोटू पुत्र राजेन्द्र निवासी सररपुर कला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-है0का0 632 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 4-का0 40 अरुण कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 5- का0 81 हरिओम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 6-का0 62 अरिब पठान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने मु0अ0सं0 226/26 धारा 305(1)/61(2) बीएनएस में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 15 हजार रुपए नगद, एक गले का सेट (पीली धातु), 02 झुमके (पीली धातु), एक नाक का टॉप्स (पीली धातु), 02 जोड़ी बिछुए (सफेद धातु), 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 घड़ी (सोनाटा) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.04.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त नीटू पुत्र संजय निवासी मंवीकला थाना कोतवाली बागपत व दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिनी के घर में छत के रास्ते से घुसकर घर से (एक जोड़ी सोने की कानो की झुमकी, चार जोड़ी कानो के सोने के



कुंडल. 8 जोड़ी सैम्पल व चुकटी चांदी की, तीन चांदी के गले के सैट, एक चांदी की चैन, एक सोने की अगूठी, एक चांदी का मंगलसूत्र, एक गले की तकड़ी.) और गहनो के साथ एक लाख रु० नगद चोरी कर लिये है तथा अभियुक्त की पत्नी द्वारा घर का भेद लेने के लिये वादिया के पति दीपक के पास फोन किया था। इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 226/26 धारा 305(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 226/26 धारा 305(1)/61(2) बीएनएस में वांछित 1 अभियुक्त नीटू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 15 हजार रुपए नगद, एक गले का सेट (पीली धातु), 02 झुमके (पीली धातु), एक नाक का टॉप्स (पीली धातु), 02 जोड़ी बिछुए (सफेद धातु), 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 घड़ी (सोनाटा) बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 317(2) की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

नीटू पुत्र संजय निवासी मंवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 15 हजार रुपए
- एक गले का सेट (पीली धातु),
- 02 झुमके (पीली धातु),
- एक नाक का टॉप्स (पीली धातु),
- 02 जोड़ी बिछुए (सफेद धातु),
- 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु),
- 02 घड़ी (सोनाटा)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 650 योगेन्द्र कुमार थाना बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.04.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जोनी पुत्र विकाश निवासी शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत।
2. है0का0 633 रुरस्तम थाना बडौत।
3. का0 647 प्रवीण थाना बडौत।